

प्रेषक,

डा0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य आयुक्त,
दिव्यांगजन, उ0प्र0,
लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ

दिनांक 07 अप्रैल, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/02-07 बजट/रा0आ0दि0ज0/2021 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235 (राजस्व) के 15-विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना मद में प्राविधानित रू0 147.97 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान संख्या-79

(धनराशि रू0 लाख में)

ब्यौरेवार शीर्ष	स्वीकृति
1	2
राजस्व पक्ष	
लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-15-विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना (2235 02 101 15 00)	
01-वेतन	61.80
02-मजदूरी	0.10
03-मॅहगाई भत्ता	18.54
04-यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	0.06
07-मानदेय	7.98
08-कार्यालय व्यय	3.00
09-विद्युत देय	5.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2.00
18-प्रकाशन	2.40
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00
29-अनुरक्षण	1.00
42-अन्य व्यय	2.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00
49-चिकित्सा व्यय	3.50
51-वर्दी व्यय	0.05
55-मकान किराया भत्ता	8.04
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.00
योग	147.97

(रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार मात्र)

- 2- उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेंगे और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 3- धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- 5- वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य आयुक्त कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यावाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
डा० पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>